संख्या 690/XXX(2)/2010

प्रेषक

दिलीप कुमार कोटिया,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2— समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

3— आयुक्त,
कुमाऊ/गढ़वाल।

4— समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग—2 देहरादूनः दिनांकः 23 जून, 2010

विषयः— समूह 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ' के कार्मिकों के विरूद्ध प्राप्त शिकायती—पत्रों का निस्तारण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कतिपय स्रोतो से शासन के विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त होती रहती है। इनमें कुछ मा0 सांसदों/विधायकों से शिकायतें प्राप्त होती हैं तथा कुछ अन्य स्रोतों/व्यक्तियों से प्राप्त होती है। कतिपय मामलों में यह देखा गया है कि शिकायत—पत्रों में अंकित शिकायतकर्ता का नाम फर्जी है तथा शिकायतें निराधार व तथ्यहीन हैं। कतिपय मामलों में किसी विशिष्ट व्यक्ति के पैड का दुरूपयोग करते हुए फर्जी हस्ताक्षर से शिकायती पत्र दिये जाते है।

2— अतः बेनामी अथवा फर्जी शिकायतों की बढ़ती प्रवृत्ति को दृष्टि में रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शिकायती—पत्रों के निस्तारण हेतु निम्नलिखित प्रकिया अपनायी जायः—

1—विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त शिकायती पत्रों के सम्बंध में कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व यदि शिकायती पत्र की सत्यता संदिग्ध प्रतीत होती हो और उसकी पुष्टि करना आवश्यक समझा जाय तो सम्बधित विशिष्ट व्यक्ति को पत्र भेजकर यह पुष्टि कर ली जाय कि पत्र उन्हीं के द्वारा हस्ताक्षरित है और शिकायतों के सम्बंध में उनको सन्तोष हो गया है कि शिकायतें तथ्यों पर आधारित हैं।

2—अन्य स्रोतों/व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के सम्बंध में शिकायतकर्ता से इस बारे में एक शपथ—पत्र उपलब्ध कराने तथा शिकायतों की पुष्टि हेतु समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा जाय और इसके प्राप्त होने के उपरान्त ही आगे कार्यवाही की जाय।

3— अतः आपसे यह अनुरोध है कि कृपया समूह 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ' के कार्मिकों के विरूद्ध विभिन्न स्तरों पर लम्बित/प्राप्त होने वाले समस्त शिकायती—पत्रों का उपरोक्त निर्देशों के अनुसार ही निस्तारण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दिलीप कुमार कोटिया)
प्रमुख सचिव।

G.O.2010